न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल आर एक्ट संख्या :-324/2020/भीलवाड़ा

गोविन्द पुत्र सांवता जाट, जाति जाट निवासी दातंड़ा, जिला भीलवाड़ा।

........अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरड़ा, तहसील हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा।

...........रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,भीलवाड़ा दिनांक 08.05.2019 प्रकरण संख्या 59/2018 उनवानी श्री गोविन्द बनाम सरकार में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0:–श्री वैभव पारीक (अपीलांट अभि0)
राजकीय अभि0:–श्री आकाश पारीक

निर्णय दिनांकः–28.07.2022

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार हुरड़ा जिला भीलवाड़ा द्वारा ग्राम दांतड़ा के खसरा नम्बर 279 रकबा 0.02 बीघा पर अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956 के तहत दिनांक 08.12.2017 को अपीलांट को बेदखल कर शास्ति वसूल किये जाने का आदेश जारी किये गये। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के यहां अपील प्रस्तुत की। जिसे उन्होने दिनांक 08.05.2019 को खारिज कर दी गई। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में उक्त द्वितीय अपील प्रस्तुत की है। उक्त अपील निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की है–

1. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश प्रदान करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया और न ही उसे कोई नोटिस प्राप्त हुआ।

2. खसरा नम्बर 279 पर अपीलांट को कोई कब्जा नहीं है अपितु वह खसरा नम्बर 279/2 पर पुश्तैनी तौर पर लम्बे समय से काबिज चला आ रहा है तथा खसरा नम्बर 279/2 रास्ते की भूमि नहीं है। बल्कि आबादी की बसावट है। उक्त खसरा नम्बर 279/2 पर अपीलांट का बाड़ा बना हुआ है तथा मकान रास्ते से करीब 50 से 60 फिट की दूरी पर है।

3. न्यायालय द्वारा कोई मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई।

अपील स्वीकार की जायें, अपील स्वीकार करते हुए तहसीलदार हुरड़ा के निर्णय दिनांक 08.12.2017 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 08.05.2019 को निरस्त किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत [illegible] साथ ही ए0डी0एम भीलवाड़ा द्वारा निर्णय दिनांक 08.05.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार हुरड़ा के यहां दर्ज प्रकरण 111/2017 के आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपि [illegible] 04.09.2017 से 09.12.2017 रिपोर्ट पटवारी धारा 91 नोटिस द्वारा तहसीलदार हुरड़ा अन्त[illegible] धारा 91 प्रस्तुत किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:44 IST
Reason: SelfAttested

अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई, वकील अपीलांट के अनुसार ग्राम दांतड़ा में खसरा नम्बर 279 पर हमारा कब्जा नहीं है। अपितु ख0न0 279/2 पर हमारा कब्जा है। उक्त भूमि आबादी में है। तहसीलदार द्वारा साइक्लोस्टाइल आदेश जारी किया गया। हमें नहीं बुलाया गया, तामील नहीं हुई है। पत्रावली पर निरीक्षण/मौका रिपोर्ट नहीं है। अपीलांट सरकारी अध्यापक है और अन्य जगह डयूटी करता है। इसलिए उपस्थित नहीं था। अपील स्वीकार की जायें। राजकीय अभि0 के अनुसार दिनांक 27.09.2017 को उपस्थित था। प्रार्थी यदि फर्जी हस्ताक्षर के बारे में बात करता है तो उसे कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए थी। प्रार्थी स्वयं के द्वारा कब्जा हटाने के लिए प्रार्थना की है। इसका मतलब उसका कब्जा है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार उसे अपीलीय न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं थी। क्योंकि उनके अभि0 द्वारा निर्णय बाबत उनको सूचना नहीं दी गई थी। दिनांक 17.06.2020 को पटवारी द्वारा जब यह बताया गया कि निर्णय उसके विरूद्ध हुआ है। तो जानकारी प्राप्त होने के बाद नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया तथा दिनांक 23.06.2020 को नकल प्राप्त होने के बाद अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जायें। दिनांक 19.08.2020 को उक्त अपील न्यायालय हाजा में दर्ज होना पायी जाती है। जानकारी दिनांक से अपील अंदर मियाद होना पायी जाती है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अन्य प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार अपीलांट का प्रथम दृष्टया प्रकरण है तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अपीलीय निर्णय की पालना को रोका जायें। नही तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति हो सकती है। मौके व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति को बनाई रखी जायें। सर्वप्रथम पर्चा मौका पटवार मण्डल का अवलोकन किया गया। उक्त मौका पर्चा पर पटवारी पंकज, रतनू, एक मेवाराम व एक अन्य के हस्ताक्षर दिखाई पड़ते है। उक्त मौकापर्चा में अपीलांट को ख0न0 279 रकबा 0.02 हे0 पर मकान व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण पाया गया। उक्त मौका पर्चा पर दिनांक 18.08.2017 की तारीख दर्ज है। संवत 2074 किस्म जमीन के गैर मुमकिन रास्ता बताया गया है के खेत में पूर्व में भी अंकित किया गया। खसरा नम्बर 279 का रकबा 3.04 बताया है तथा नाजायज कब्जा 0.02 हे0 में बताया गया है। रिकोर्ड प्राप्त करने के बाद प्रकरण संख्या 111/2017 अंकित कर अतिक्रमियों को नोटिस दिनांक 04.09.2017 को जारी किया गया। नोटिस में यह अंकित किया हुआ है ''यह और ध्यान रखें कि आपने इसी भूमि पर कृषि वर्ष 2074 में भी अतिचार किया था। 2073 वर्ष में पश्चातवृती अतिक्रमण किया है।'' दिनांक 11.10.2017 को तहसीलदार हुरड़ा ने पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट मंगवायी जो दिनांक 31.10.2017 को पेश होनी थी। जो आगामी पेशी दिनांक 31.11.2017 एवं निर्णय दिनांक 08.12.2017 तक भी प्रस्तुत नहीं की। बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये तहसीलदार हुरड़ा द्वारा दिनांक 08.12.2017 को आदेश जारी किया जाना पाया जाता है।

तहसीलदार हुरड़ा द्वारा अपीलांट को जारी नोटिस अन्तर्गत धारा 91 एल0आर0एक्ट पश्चातवृती अतिक्रमी मानते हुए दिया गया था। पत्रावली पर [illegible] मात्र रिपोर्ट पटवारी धारा 91 के केफियत के कॉलम में पूर्व में भी अंकित किया है। बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये तहसीलदार हुरड़ा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2017 को जारी किया जाना पाया गया है। जबकि उनके स्वयं के द्वारा मौका रिपोर्ट मांगी गई थी तथा अपीलांट द्वारा इस बाबत आक्षेप किया गया था कि वह खसरा नम्बर 279/2 पर विगत 20 से 25 से काबिज है तथा उक्त क्षेत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:44 IST
Reason: SelfAttested

आबादी बसावट में है। जब अपीलांट को आक्षेप था तब तहसीलदार को अनिवार्य रूप से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाना था मगर बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये ही इनके द्वारा निर्णय किया गया। तहसीलदार हुरड़ा द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है उसमें अपीलांट को पश्चातवृती अतिक्रमी बताया है। इसमे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं बताया है। मात्र पटवारी के अंकन से माना है। पूर्व संवत 2073 में तहसीलदार के आदेश की मात्र कागजी खानापूर्ति होना अवगत हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायालय यह उचित समझता है। कि बिना तथ्यों का विश्लेषण किये, बिना मौका रिपोर्ट मंगवाये तहसीलदार द्वारा जो निर्णय जारी किया गया है। वह सही ठहराये जाने के योग्य नहीं है। अतः अपील द्वारा अपीलांटस स्वीकार किये जाने योग्य है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा भी बिना तथ्यों का विश्लेषण किये अपीलीय आदेश पारित किया है। उक्त दोनों ही आदेश उचित नहीं पायें जाते है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश द्वारा तहसीलदार हुरड़ा दिनांक 08.12.2017 एवं अपीलीय आदेश द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 08. 05.2019 को खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक.....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:44 IST
Reason: SelfAttested